राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./विविध/20/1801 दिनांकः 6/9/2022

आदेश

प्रदेश के कुछ जिलों/क्षेत्रों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण विकट हालात बने हुए है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आमजन को भोजन की असुविधा न हो, इस हेतु जिला कलेक्टर्स एवं नगर निकायों से प्राप्त सुझाव/मांग अनुसार बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्दों को इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन पैकिट्स उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. रसोई संचालकों द्वारा जिला कलेक्टर/नगर निकायों की मांग पर निःशुल्क भोजन पैकिट्स उपलब्ध करवाये जायेंगे।
2. निःशुल्क भोजन पैकिट्स वितरण में लाभार्थियों का विवरण अंकित नहीं किया जाऐगा। वितरित निःशुल्क भोजन पैकिट्स की संख्या इन्दिरा रसोईयों में निर्धारित भोजन क्षमता से अतिरिक्त होगी।
3. सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निःशुल्क भोजन पैकिट्स वितरण की प्रतिदिन संख्या का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में संधारित करेंगे।
4. रसोई संचालकों को लाभार्थी अंशदान राशि 8/- रूपये प्रति पैकिट एवं पैकिट्स शुल्क 5/- रूपये का भुगतान नगर निकायों द्वारा स्वंय के स्तर से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु बजट प्रावधान से किया जायेगा। राजकीय अनुदान राशि 17 /- रूपये प्रति थाली का भुगतान इन्दिरा रसोई मद से किया जायेगा।
5. बाढ़ग्रस्त/प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वितरित निःशुल्क भोजन पैकिट्स के राजकीय अनुदान राशि 17/- रूपये प्रति पैकिट का भुगतान हेतु नगर निकायों द्वारा भुगतान स्वीकृति आदेश (संलग्न प्रारूप) जारी किये जायेगे, जिसकी प्रति निदेशालय की (इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ) को ई-मेल आई. डी indirarasoi@gmail.com पर भिजवायेंगे। साथ ही सूचना की प्रति जिला मुख्यालय के आयुक्त को भी भिजवाई जायेगी।
6. निदेशालय को प्राप्त भुगतान स्वीकृति आदेश के अनुसार वितरित किये गये निःशुल्क भोजन पैकिट्स का इन्द्राज निदेशालय (इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ) द्वारा इन्दिरा रसोई पोर्टल के MIS पर किया जायेगा। इससे राजकीय अनुदान राशि इन्वॉइस में अपने आप जुड़कर आ जायेगी जिसके आधार पर सम्बन्धित जिला मुख्यालय की नगर निकायों के आयुक्त द्वारा रसोई संचालकों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार निःशुल्क भोजन पैकिट्स वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, इस हेतु भोजन पैकिट्स का वितरण स्थानीय प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगर निकायों के कार्मिकों द्वारा किया जायेगा। भोजन वितरण में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। इसकी मॉनिटरिंग/सत्यापन जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि/सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./विविध/20/1802-08 दिनांकः 6/9/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.) समस्त राजस्थान
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी सम्बन्धित नगर निकाय समस्त राजस्थान।
6. रसोई संचालक समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

(नरेश कुमार गोयल)
स्टेट नोडल अधिकारी

कार्यालय नगरीय निकाय................

क्रमांकः

दिनांकः

भुगतान स्वीकृति आदेश

(बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क भोजन पैकिट्स वितरण करने पर राजकीय अनुदान राशि भुगतान)

निदेशालय के आदेश क्रमांक .... दिनांक ....में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्दों को निःशुल्क भोजन पैकिट्स वितरित किये जाने हेतु नगर निकाय में संस्था..द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई संख्या ....के माध्यम से निःशुल्क भोजन पैकिट्स उपलब्ध करवाये गये, जिनका विवरण दिनांकवार निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	दिनांक	निःशुल्क भोजन पैकिट्स उपलब्ध कराये गये की संख्या	देय राजकीय अनुदान राशि (17 रुपये थाली/पैकेट)	कुल भुगतान योग्य राशि (कॉलम 3X4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. उपरोक्त दिनांकों को बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्दों को उपलब्ध करवाये गये। प्रतिदिन निःशुल्क भोजन पैकिट्स का संधारण नगर निकाय द्वारा रजिस्टर में किया गया है।
2. उक्त दिनांकों को बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों मे जरूरतमन्दों को उपलब्ध करवाये गये निःशुल्क भोजन पैकिट्स का सत्यापन नगर निकाय स्तर से कर लिया गया है जो सही है।
3. उक्त दिनांको को बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्दों को वितरित किये गये निःशुल्क भोजन पैकिट्स की अनुदान राशि के भुगतान हेतु इन्दिरा रसोई संचालकों के इन्वाइस में जोड़ने हेतु प्रमाणित किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार बाढ़ग्रस्त एवं अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमन्दों को निःशुल्क वितरित किये गये भोजन पैकिट्स का राजकीय अनुदान राशि रूपये .... /— (अक्षरे रूपये ....) का इन्दिरा रसोई योजना मद से भुगतान करने की एतद् स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

क्रमांकः

दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.) ....
4. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग ....
6. आयुक्त एवं पदेन सचिव, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो.)................
7. रसोई संचालक संस्था...रसोई सं. ....

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी